Court of Judicial Magistrate,Railway Narkatiyaganj at Bettiah

Bapudham Motihari / R.P.F -P.S. Case No- 03/2021
State V/s Dhanraj Kumar Sahani & Anrs

22.06.2021 काराधीन अभियुक्त धनराज कुमार उर्फ धनराज कुमार सहनी की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ र्भचुअल जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की कौपी विद्वान ए0 पी0 ओ0 को दी गई । अभियुक्त **दिनांक 08.06.2021** से कारा में है।

काराधीन अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री वशिष्ठ नारायण सिंह Video Conference के द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन को प्रचालित कर जमानत हेतु प्रार्थना किया गया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, उसे झुठा फंसाया गया है। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त **दिनांक 08.06.2021** से कारा में संसीमित है। अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टि के लिए किसी भी राशि का बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान ए0 पी0 ओ0 द्वारा जमानत का घोर – विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक सुभाष कुमार, लोको पायलट माल, नरकटियागंज का कथन है कि आउट पोस्ट चकिया लोको संख्या 33032 लोको का चार बैट्री किसी मिस्क्रीएंट द्वारा निकाला हुआ है। सूचना पर पोस्ट कमाणडर मोतिहारी अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि चकिया लाईन संख्या चार में खड़ी लोको संख्या 33032 / WAG9H/BAI चार्ज लेने पहुँचे सहायक लोको पायलट द्वारा बैट्री बॉक्स में छेड़-छाड़ की शंका की सूचना स्टेशन मास्टर चकिया को दिया गया। तत्पश्चात चकिया आउट पोस्ट डियूटि में तैनात आरक्षियों द्वारा बैट्री बॉक्स का निरीक्षण किया गया, जिसमें चार अदद बैट्री गायब पाया गया। काफी खोज बीन करने पर कोई जानकारी नहीं मिला। अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। दिनांक 07.06.2021 को मुखबीर की सूचना पर उप निरीक्षक तनवीर अख्तर अपने सहयोगियों के साथ आउट पोस्ट चकिया रेलवे गुमटी संख्या 139/C के पास दो मोटरसाईकिल पर चार ब्यक्ति सवार बोरी में चोरित बैट्री ले जा रहे थे, तभी अपराधकर्मियों को समय 10:35 बजे पुलिसकर्मियो द्वारा घेरा गया जिसमें से एक अपराधी पकड़े गए। पूछ- ताछ करने पर अपना नाम धनराज कुमार सहनी बताया। अन्य तीन अपराधी 01.बबलू सहनी 02.उमेश सहनी एवं नागेन्द्र सहनी बैट्री फेंक्कर भागने में सफल रहें। फेंके गए बैट्री को बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्ति धनराज कुमार सहनी अपने स्वीकारोक्ति बयान में उक्त तीनों साथियों के साथ रेलवे यार्ड चकिया में चार अदद बैट्री चोरी करने की बात स्वीकार किया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धारा – 3RP (UP) Act. है। अत: अभियुक्त को जमानत पर मुक्त नहीं किया जाए।

लगातार

Court of Judicial Magistrate,Railway, Narkatiyaganj at Bettiah

Bapudham Motihari / R.P.F -P.S. Case No- 03/2021

State V/s Dhanraj Kumar Sahani & Anrs

22.06.2021
लगातार

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोपित धारा – 3RP (UP) Act. है। आवेदक अभियुक्त अपने स्वीकारोक्ति बयान में चोरी करने की बात स्वीकार किया है। आवेदक अभियुक्त के पास से चोरी की गई सामान बरामद हुआ है। रेल सम्पति की चोरी एक राष्ट्रीय सम्पति की चोरी है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोपित धारा अजमानतीय व गंभीर प्रकृति का है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायालय न्यायोचित नहीं समझती है,तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

प्र0 न्या0 दण्डा0 रेलवे